उठाये व

**Q. 8. राष्ट्रीय विकलांग जन-नीति, 2006 का वर्णन करें।**
***(Describe National Policy for Persons with Disabilities, 2006.)***

***Ans.*** राष्ट्रीय विकलांग जन-नीति, 2006 भारतीय संविधान में इंगित पदों जैसे समता, स्वतन्त्रता, न्याय और सम्मान पर जोर देते हुए जन-जन के बीच इस उद्देश्य को पूरा करना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति नियोग्य हो या नहीं, क्षमताएँ अपने आप में अनूठी होती है और इनका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है तथा इनको सीमाओं में नहीं बाँधा जा सकता है। अत: नियोग्य व्यक्तियों को अगर आप पूरा अवसर और पुनर्वास की सुविधाएँ प्रदान करें तो यह लोग भी सामान्य व्यक्तियों की तरह आगे बढ़कर भारत के सर्वशिक्षा अभियान के स्वप्न को पूरा करने में सहायोग दे सकते हैं। आवश्यकता है केवल एक सकारात्मक सोच की।

राष्ट्रीय जन विकलांग नीति 2006 का पुनर्गठन वर्ष 2006 में मीरा कुमार द्वारा किया गया। इसमें भारत में नियोग्य व विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु अन्य अधिनियमों, शैक्षिक व चिकित्सीय प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों का उल्लेख किया गया है।

समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में विकलांग व्यक्तियों के लिये शिक्षा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में निम्नलिखित प्रावधान है–

1. सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिये शिक्षा सबसे उपयोगी माध्यम है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद शन्क में शिक्षा को मूलभूत अधिकार माना गया है तथा नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 26 के अनुसार, कम से कमम 18 वर्ष की आयु के सभी विकलांग बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायी जानी है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 55 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति अनपढ़ है। विकलांग व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाये जाने की आवश्यकता है।

2. सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिये 2010 तक 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। इन बच्चों में विकलांग बच्चे भी सम्मिलित है। 15-18 वर्ष की आयु वर्ग के विकलांग बच्चों को एकीकृत दिशा योजना (आई. ई. डी. सी.) के अन्तर्गत नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी।

3. भारत सरकार विकलांग छात्रों को स्कूल स्तर के बाद अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है।

4. विकलांग व्यक्तियों को उच्च व व्यावसायिक शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थाओं तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

5. सुविधारहित तथा अल्प सुविधा वाले क्षेत्रों में विद्यमान संस्थाओं को अनुकूल बनाकर या संस्थाओं की शीघ्र स्थापना करके विभिन्न प्रकार के उत्पादकारी क्रियाकलापों के अनुरूप विकलांग व्यक्तियों में कौशल विकास बढ़ाने के लिये तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये गैर-सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

6. राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आई. ई. डी. सी. योजना के अन्तर्गत विशेष शिक्षकों, पुस्तकों और स्टेशनरी, वर्दी, परिवहन दृष्टि, विकलांगों के लिये, रीडरभत्ता, होस्टल भत्ता, अनुदेशन सामग्री या उत्पादन सामान्य शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि विभिन्न सुविधाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7. विकलांग बच्चों की पहचान, सम्मिलित स्कूलों में इनका दाखिला तथा इनकी शिक्षा जारी रखने के लिये सरकार की ओर से नियमित सर्वेक्षणों द्वारा सफल प्रयास किये जाते हैं। सरकार विकलांग बच्चों के लिये उपयुक्त तरीके से शिक्षण सामग्री तथा पुस्तकों, प्रशिक्षित शिक्षकों तथा स्कूल भवनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

8. विकलांग महिलाओं की विशेष जरूरतों का ध्यान रखते हुए उनके लिये शिक्षा, रोजगार तथा अन्य पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने हेतु विशेष कार्यक्रम बनाये गये हैं। विकलांग महिलाओं के लिये विशेष शैक्षिक एक व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

## समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षा नीति, 2006
## (Education Ploicy, 2006 with the Reference of Inclusive Education)

विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिये यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे की स्कूल स्तर की शिक्षा के लिये उपयुक्त पहुँच हो। इसके लिये असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय नीति, 2006 में निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा गया है–

1. प्राईमरी, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा स्तर पर विकलांग बच्चों की संख्या तथा शिक्षा जारी रखने की वार्षिक समीक्षा करने के लिये अलग व्यवस्था की जायेगी।

2. विकलांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में समावेशी शिक्षा के मॉडल सकूल स्थापित किये जायेंगे।

3. अनेक विकलांग बचचे जो समावेशी शिक्षा में शामिल नहीं हो सकते, को विशेष स्कूलों में शैक्षिक सेवाएँ मिलती रहेगी। विशेष स्कूल मुख्य धारा की समावेशी शिक्षा में शामिल होने के लिये विकलांग बच्चों को तैयार करने में सहायता करेंगे।

4. विभिन्न विकलांग बच्चों के लिये पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन पद्धति का विकास किया जायेगा। जिनमें उनकी आवश्यकताओं तथा क्षमताओं का ध्यान रखा जायेगा। गणित की पढ़ाई केवल एक भाषा सीखना आदि जैसी कुछ रियायत देकर परीक्षा पद्धति में सुधार किया जायेगा । जिससे कि उसे विकलांगों के अनुकूल बनाया जा सके।

5. 6 वर्ष की आयु तक के विकलांग बच्चों की पहचान की जायेगी तथा इसके बाद उनका आवश्यक उपचार किया जायेगा ताकि वे समावेशी शिक्षा में भाग ले सकें ।

6. मानसिक रूप से अपंग बच्चों के लिये मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केंद्रों में शिक्षा सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।

7. कुछ स्कूल विकलांग बच्चों का नामांकन नहीं करते हैं। ऐसा मुख्य रूप से स्कूल अधिकारियों तथा शिक्षकों की विकलांग व्यक्तियों की क्षमता के बारे में क्षमता की कमी के कारण होता है। विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल करने के लिये स्कूल के शिक्षकों, प्राचार्य तथा अन्य कर्मचारियों से जानकारी प्रदान करने के लिये विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

8. विकलांग व्यक्तियों के लिये उच्च शिक्षण संस्थाओं में तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी। विकलांग छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकलांगता केंद्र स्थापित करने के लिये विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, व्यावसायिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लियेय भी प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सके।

9. सभी स्कूलों को सभी प्रकार के विकलांग बच्चों के लिये बाधा मुक्त बनाया जायेगा ताकि सभी बच्चों की इन स्कूलों तक पहुँच हो।

10. शिक्षण का माध्यम तथा उसकी पद्धति को सामान्य तथा बाधित बच्चों के अनुकूल बनाया जायेगा ताकि सभी बच्चों का शैक्षिक विकास सम्भव हो सके।

11. तकनीकी, अनुपूरक तथा विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था एक ही स्कूल में उपलब्ध करवाई जायेगी, जहाँ पर कुछ स्कूल आसानी से जा सके।

12. स्कूलों में सहायक समग्री उपलब्ध करवाई जायेगी। स्कूलों में सामान्य पुस्तकालयों, ई-पुस्तकालयों, ब्रेल पुस्तकालयों एवं टाकिंग पुस्तकालयों, स्रोत कक्षों

आदि की स्थापना करने के लिये सुविधाओं का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

13. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाया जायेगा तथा उनका विस्तार देश के अन्य भागों में किया जायेगा।

14. विकलांग व्यक्तियों द्वारा आपसी बातचीत के लिये सांकेतिक भाषा वैकल्पिक व अभिवृद्धि सम्बन्धी संप्रेक्षण माध्यमों को मान्यता प्रदान की जायेगी तथा इनका मानवीकरण किया जायेगा। इन्हें लोकप्रिय भी बनाया जायेगा।

15. विद्यालयों को ऐसी जगह पर स्थापित किया जायेगा जो विकलांग क्षेत्रों की सुविधा के अनुसार हो और जहाँ से यात्रा दूरी कम हो। विकल्प के तौर पर, राज्य, समुदाय एवं गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से व्यवहार्य यात्रा के प्रबन्ध किये जायेंगे।

16. स्कूलों में माता-पिता अध्यापक परामर्श तथा शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की जायेगी।

17. कुछ मामलों में विकलांगता, निजी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के स्वरूप के कारण गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जायेगी।

18. शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर का विशेष महत्त्व है। ऐसा प्रयास किया जायेगा कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को कम्प्यूटर के प्रयोग का समुचित ज्ञान हो।

19. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्तमान में सहायता दिये जा रहे विशेष स्कूल, बढ़ती हुई समावेशी शिक्षा के लिये संसाधन केंद्र बन जायेंगे। मानव संसाधान मंत्रालय द्वारा आवश्यकता के अनुसार नये विशेष विद्यालय खोले जायेंगे।

20. विकलांग बच्चों के प्रबन्ध सम्बन्धी मुद्दों पर एक मॉड्यूल अध्यापकों के प्रवेश तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना।